

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्र.क.क्रमांक :- 403/2015)
(संस्थित दिनांक :- 26/06/2015)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. फूल सिंह कुशवाह पुत्र राजपत सिंह कुशवाह उम्र 41 वर्ष
 02. महादेवी कुशवाह पत्नी फूल सिंह कुशवाह उम्र 37 वर्ष
- निवासीगण :- ग्राम खेरिया, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक : 07/11/2016 को घोषित)

01. अभियुक्तगण फूल सिंह एवं महादेवी पर भा.द.सं. की धारा 294, 323, 323/34, 324, 324/34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 01/03/2015 को सुबह लगभग 10:10 बजे फरियादी रामाबाई के दरवाजे के सामने ग्राम जल्लू में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी रामाबाई को माँ-बहन की अश्लील गालियों देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामाबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त फूल सिंह ने फरियादी रामाबाई को धारदार आयुध कुल्हाड़ी से एवं अभियुक्त महादेवी ने घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी रामाबाई को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 01/03/2015 को सुबह लगभग 10:10 बजे फरियादी रामाबाई के दरवाजे के सामने ग्राम जल्लू में, आरोपीगण द्वारा गाली-गलौच करने, फरियादी रामाबाई की धारदार आयुध कुल्हाड़ी एवं घूसों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी रामाबाई द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में

आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 50/2015 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। फरियादी रामाबाई, साक्षी राहुल एवं अखिलेश के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी फूल सिंह ने दिनांक :- 01/03/2015 को सुबह लगभग 10:10 बजे फरियादी रामाबाई के दरवाजे के सामने ग्राम जल्लू में, सहअभियुक्त महादेवी के साथ मिलकर फरियादी रामाबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त फूल सिंह ने फरियादी रामाबाई को धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी रामाबाई अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी फूल सिंह एवं महादेवी को जानती है, वह उसके पड़ोसी है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 18/03/2016 से करीबन एक साल पहले की होकर सवा 10 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह अपनी भैंसो के नीचे से पानी उलीच रही थी, तभी फूल सिंह बोला कि मादरचोद मैं तुझे अभी देखता हूँ, वह कुल्हाड़ी लेकर आया और कुल्हाड़ी मारी, जो मेरे दाये हाथ की कोहनी में लगी थी। फिर महादेवी आ गई, उसने मुझे मुक्का मारा, जिससे मेरा दाँत हिल गया था। उसके बाद फूल सिंह ने

एक कुल्हाड़ी मारी जो उसके बाये हाथ की कलाई में लगी। उसके बाद महादेवी ने उसे पटक लिया, मुक्के मारे, जिससे उसे मूंदी चोटें आईं। बीच-बचाव अखिलेश एवं राहुल ने कराया था। साक्षी आगे कहती है कि उसने पुलिस थाना में रिपोर्ट प्र.पी.01 की थी, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र. पी.02 बनाया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसकी डॉक्टरी कराई थी और पूछताछ की थी।

08. अखिलेश अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दिनांक 18/03/2016 को कहना है कि वह आरोपीगण महादेवी एवं फूल सिंह को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 18/03/2016 से एक साल पहले की सुबह सवा दस बजे की है। उस समय उसकी माँ रामाबाई अ.सा.01 भैंस के नीचे से पानी उलीच रही थी, तो आरोपी महादेवी ने उसकी माँ को पानी उलीचने से मना किया, तो उसकी माँ ने आरोपी महादेवी से कहा कि मैं अपनी जगह से पानी उलीच रही हूँ, उसके बाद आरोपी फूल सिंह आया उसने मेरी माँ रामाबाई को मादरचोद-बहिनचोद की गालियाँ दी और कुल्हाड़ी मारी, जो रामाबाई के दाहिने हाथ की कोहनी में लगी। फिर महादेवी ने घूँसा मारा, जो रामाबाई के दाँत में लगा। फिर फूल सिंह ने कुल्हाड़ी का बैट मारा, जो बाये हाथ में लगा। साक्षी आगे कहता है कि उसने एवं उसके भाई राहुल ने बीच-बचाव किया। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

09. डॉ.आर.विमलेश अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 01/03/2015 को सीएचसी मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के आरक्षक क्रमांक 168 आशाराम द्वारा लाये जाने पर आहत रामाबाई पत्नी घनश्याम उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम खेरिया जल्लू, थाना-मौ का मेडीकल परीक्षण कर उसकी बाईं भुजा की निचले भाग पर 0.5 गुणत 0.25 से.मी. आकार की एक खरोंच, बाईं भुजा के निचले भाग पर आगे की ओर 01 गुणा 0.25 से. मी. आकार की एक खरोंच, दाहिनी भुजा के निचले भाग से कोहनी तक 2.5 गुणत 0. 25 से.मी. आकार का मासपेशी तक गहरा फटा हुआ घाव पाया था। साक्षी आगे कहता है कि आहत रामाबाई दाहिने तरफ के दाँतों का टूटना बता रही थी। इस वावत् उसे दंत चिकित्सक के पास परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भिण्ड भेजा था। डॉ.आर. विमलेश अ.सा.03 का कहना है कि आहत को आई प्रथम तीन चोटें किसी सख्त एवं कुंद वस्तु से उसके परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर आना प्रतीत होती थी, जिनकी प्रकृति साधारण थी। इस वावत् उनके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में डॉ.आर.विमलेश अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट क्रमांक 01 लगायत 04 जैसी चोटें किसी पत्थर पर गिरकर आना संभव है। इस प्रकार डॉ.आर.विमलेश अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य

उसके द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। डॉ.आर.विमलेश अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 के तथ्यों से भी हो रही है।

10. फरियादी रामाबाई अ.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी फूल सिंह मौके पर मौजूद नहीं था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में रामाबाई अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि अन्य न्यायालय में जो उनके विरुद्ध मामला चल रहा है, जिसमें वह आरोपी है, उससे बचने के लिए उसने आरोपीगण को झूठा फंसाया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में रामाबाई अ.सा.01 का कहना है कि घटना के समय बीच-बचाव कराने के लिए गांव का कोई व्यक्ति नहीं आया था क्योंकि झगड़ा उसके गौड़ा में हुआ था और उक्त गौड़ा एकांत में है। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि वह गांव के पिछवाड़े में है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में रामाबाई अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी फूल सिंह द्वारा उसे कुल्हाड़ी से कोई चोट नहीं पहुँचाई गई। फरियादी रामाबाई ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में, उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में एवं उसके पुलिस कथन में आरोपी फूल सिंह द्वारा कुल्हाड़ी से उसके दाये एवं बाये हाथ में चोट पहुँचाये जाने का तथ्य बताया है। फरियादी रामाबाई अ.सा.01 के पुत्र अखिलेश अ.सा.02 ने भी आरोपी फूल सिंह उसकी माँ रामाबाई को कुल्हाड़ी से दाये एवं बाये हाथ में चोट पहुँचाये जाने का तथ्य बताया है और प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी फूल सिंह ने उसकी माँ रामाबाई को कोई कुल्हाड़ी नहीं मारी थी। इस प्रकार फरियादी रामाबाई एवं उसके पुत्र अखिलेश ने आरोपी फूल सिंह द्वारा फरियादी को कुल्हाड़ी से दाये एवं बाये हाथ में चोट पहुँचाने का तथ्य बताया है। परन्तु फरियादी रामाबाई अ.सा.01 का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉ.आर.विमलेश अ.सा.03 ने उसके चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी रामाबाई के दाये एवं बाये हाथ पर धारदार आयुध से पहुँचाई गई कोई चोट नहीं पाई है। यद्यपि उन्होंने फरियादी रामाबाई अ.सा.01 के दाये एवं बाये हाथ पर चोटें पाई हैं। इसी तारतम्य में यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी रामाबाई ने उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में आरोपी फूल सिंह द्वारा उसके बाये हाथ की कलाई में कुल्हाड़ी के बेट से चोट पहुँचाये जाने का तथ्य बताया है। अखिलेश अ.सा.02 ने भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में फूल सिंह द्वारा रामाबाई के बाये हाथ में कुल्हाड़ी का बेट मारे जाने का तथ्य बताया है। इस प्रकार आहत रामाबाई के बाई भुजा पर जो चोट है, वह कुल्हाड़ी के बेट से अर्थात् बिना धारदार आयुध से पहुँचाई गई है और जो तीसरी चोट रामाबाई की दाई भुजा के निचले भाग से कोहनी तक है, वह डॉ.आर.विमलेश के अनुसार किसी सख्त एवं भौथुरी वस्तु से पहुँचाई गई है। इस प्रकार उक्त विवेचना से यह प्रकट होता है कि आरोपी फूल सिंह द्वारा फरियादी रामाबाई की किसी आयुध से मारपीट तो अवश्य की गई है, परन्तु वह आयुध निश्चय ही धारदार नहीं था, अन्यथा उक्त आयुध से जो चोटें रामाबाई को कारित होती वह कटे हुये घाव होते, ना कि फटे हुये घाव। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी फूल सिंह से कोई कुल्हाड़ी जब्त भी नहीं की गई है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह प्रकट होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी रामाबाई अ.सा.01 की किसी भी धारदार आयुध से मारपीट नहीं की गई है और आरोपीगण द्वारा फरियादी रामाबाई की जो मारपीट की गई है, उसके संबंध में फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है और आरोपीगण को साधारण मारपीट के संबंध में धारा 323 भा.द.सं. के आरोप से राजीनामा के आलोक में पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है।

12. अभियोजन साक्षी निहाल सिंह अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 01/03/2015 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक

लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी रामाबाई ने थाने आकर आरोपीगण फूल सिंह एवं महादेवी के विरुद्ध गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने एवं कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुँचाने की मौखिक रिपोर्ट किये जाने पर उसने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 50/15 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसने आहत रामाबाई को मेडीकल परीक्षण हेतु सीएचसी मौ भेजा था। तत्पश्चात् केस डायरी विवेचना हेतु एसआई अवनीश शर्मा को सुपुर्द कर दिया गया था। प्रति-परीक्षण उपरांत भी निहाल सिंह अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने के संबंध पूर्णतः अखण्डित रहा है।

13. अभियोजन साक्षी अवनीश शर्मा अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 01/03/2015 को थाना मौ में एसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 50/15 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही उसने फरियादी रामाबाई, साक्षी राहुल एवं अखिलेश के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे, जिनमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 04/03/2015 को उसने घटनास्थल पर पहुँचकर फरियादी रामाबाई के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 04/04/2015 को आरोपी फूल सिंह एवं महादेवी को साक्षीगण विक्रम सिंह एवं महाराज सिंह के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 बनाये थे, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रति-परीक्षण उपरांत भी अवनीश शर्मा अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा की गई विवेचना के संबंध में तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है।

14. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी फूल सिंह ने दिनांक 01/03/2015 को सुबह लगभग 10:10 बजे फरियादी रामाबाई के दरवाजे के सामने ग्राम जल्लू में, सहअभियुक्त महादेवी के साथ मिलकर फरियादी रामाबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त फूल सिंह ने फरियादी रामाबाई को धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियों कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद